

राजस्थान सरकार
निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं
(महिला एवं बाल विकास विभाग)
2, जलपथ, गांधीनगर, जयपुर

क्रमांक:एफ.1(2)()स्था/एसीडीपीओ/मबावि/02/ 78609

जयपुर,दिनांक: 8. 5. 18

अधिसूचना

विभाग के आदेश दिनांक 17.4.18 के द्वारा श्रीमती हेमन्त चौहान पर्यवेक्षक को सहायक बाल विकास परियोजना अधिकारी के पद पर वर्ष 98-99 की रिक्ति के प्रति पदोन्नत किया गया है। ऐसी स्थिति में विभाग द्वारा दिनांक 6.11.17 को जारी अधिसूचना के द्वारा सहायक बाल विकास परियोजना अधिकारी की दिनांक 1.4.05 व आगामी वर्षों की वर्षवार वरिष्ठता सूची में इनका नाम निम्नानुसार शामिल किया जाता है:-

- 1- वर्ष 1.4.05 की वरिष्ठता सूची में क्रम संख्या 22 पर अंकित श्रीमती नीरा सक्सैना के नीचे एवं 23 पर अंकित श्रीमती शांती वर्मा के उपर अर्थात् 22 ए पर श्रीमती हेमन्त चौहान का नाम जोड़ा जाता है।
- 2- वर्ष 1.4.06 की वरिष्ठता सूची में क्रम संख्या 7 पर अंकित श्रीमती नीरा सक्सैना के नीचे एवं 8 पर अंकित श्रीमती शांती वर्मा के उपर अर्थात् 7 ए पर श्रीमती हेमन्त चौहान का नाम जोड़ा जाता है।
- 3- वर्ष 1.4.07 की वरिष्ठता सूची में क्रम संख्या 4 पर अंकित श्रीमती नीरा सक्सैना के नीचे एवं 5 पर अंकित श्रीमती शांती वर्मा के उपर अर्थात् 5 ए पर श्रीमती हेमन्त चौहान का नाम जोड़ा जाता है।

साथ ही विभाग की अधिसूचना दिनांक 2.5.18 के द्वारा जारी दिनांक 1.4.12, 1.4.13, 1.4.14 एवं 1.4.15 की अन्तिम वरिष्ठता सूची में से श्रीमती हेमन्त चौहान का क्रमशः उक्त वर्षों की सूची में क्रम संख्या 4 अंकित नाम को विलोपित किया जाता है।

उपनिदेशक(प्रशासन)
समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान, जयपुर।

जयपुर,दिनांक: 8. 5. 18

क्रमांक:एफ.1(2)()स्था/एसीडीपीओ/मबावि/02/ 15610-614
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1-संबंधित उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग।
- 2-एसीपी मुख्यालय को बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु।

3-संबंधित श्री/श्रीमती/सुश्री बाल विकास परियोजना
अधिकारी, जिला.....।

- 4-व्यक्तिगत पत्रावली।
- 5-आदेश पत्रावली।

उपनिदेशक (प्रशासन)
समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान, जयपुर।